



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश
(लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन)
नियम-पुस्तिका
संविदा महिला पोषण प्रशिक्षक के चयन के लिये
(कम्प्युटर बेस्ड टेस्ट द्वारा)
(2025-2026)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.), मध्यप्रदेश के अन्तर्गत संविदा महिला पोषण प्रशिक्षक के पद के लिए एम.पी. ऑनलाईन के वेब पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) संविदा महिला पोषण प्रशिक्षक के 15 रिक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। यह अनुबंध 31 मार्च 2026 तक के लिए होगा, जिसे आगामी वर्षों की वार्षिक कार्ययोजनाओं में स्वीकृति अनुसार नवीनीकृत किया जा सकेगा।

संविदा महिला पोषण प्रशिक्षक के 15 पद का विवरण :-

पदनाम	कुलपद	अनारक्षित (27%)	अनुसूचित जनजाति (20%)	अनुसूचित जाति (16%)	अन्य पिछड़ावर्ग (27%)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (10%)	रिक्तियों में से म.प्र. की मूल निवासी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों है आरक्षित पदों की संख्या (6%)			
							(दृष्टिबाधित एवं कम दृष्टि) 1.5 %	(बहरे कम सुनने वाले) 1.5 %	(लोको मोटरडिसेबिलिटी सम्मिलित है जैसे सरेब्रल पाल्सी कुष्ठ रोग मुक्त बौनापन एसिड अटेक पीडित मस्कुलर डिस्ट्राफी) 1.5 %	(ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविलांगता) 1.5 %
संविदा महिला पोषण प्रशिक्षक	15	05	03	02	04	01	0	0	01	0

- निशक्तजन के लिये संविदा महिला पोषण प्रशिक्षक के रिक्तियों में से 01 पद निःशक्तजन के लिये आरक्षित है, जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जावेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन नियुक्तियों में सम्मिलित है।
- दिव्यांगजन का आरक्षण क्षैतिजिक (Horizontal) के आधार पर 06 प्रतिशत का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

सामान्य निर्देशों, लिखित परीक्षा और ऑनलाईन एडमिट कार्ड/हॉल टिकट की विस्तृत जानकारी के लिए कृपया करे www.mponline.gov.in अथवा <http://ifforms.mponline.gov.in> पर जाए।

ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भ दिनांक	04/09/2025
आवेदन पत्र त्रुटिसुधार करने की प्रारम्भ दिनांक	10/09/2025
ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम दिनांक	24/09/2025
आवेदन पत्र त्रुटिसुधार करने की अंतिम दिनांक	25/09/2025

2. शैक्षणिक और अन्य पात्रताएँ:-

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता-

बी.एस.सी. फूड एवं न्यूट्रिशियन
या

बी.एस.सी. क्लीनिकल न्यूट्रिशियन एवं डायटेटिक्स
या

बी.एस.सी. होम साइन्स(फूड एवं न्यूट्रिशियन)
या

बी.एस.सी. ह्यूमन न्यूट्रिशियन

अनुभव-

डिग्री प्राप्त उपरान्त न्यूनतम 2 वर्ष कार्य अनुभव(शासकीय / अशासकीय संस्था में न्यूट्रिशियन कार्य का अनुभव)

2.1 आवेदन के समय अभ्यर्थियों को निम्नलिखित स्वप्रमाणित दस्तावेजों को अपलोड करना होगा, इसके बिना आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे:-

- हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा की अंकसूची।
- 10+2 शिक्षा प्रणाली से 12 वीं परीक्षा की अंकसूची।
- कंडिका 2 पर अंकित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव परीक्षा की अंकसूची।
- उपरोक्त दस्तावेजों में अगर पीछे के पन्नों में भी जानकारी अंकित हो तो उसे भी अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- मध्यप्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र।
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण पत्र (जिस पद पर आरक्षण लागू हो)
- सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र एफ 07-11/2019/आप्र/1, दिनांक 29 जून 2021 जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) के प्रमाण पत्र की संदर्भ में परिपत्र की कंडिका 8.6 का पालन सुनिश्चित किया जाना है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(ईडब्ल्यूएस) के प्रमाण पत्र का सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र। (आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र जारी होने के दिनांक से उस वित्तीय वर्ष के अंत तक (31 मार्च) वैध रहेगा।)
- उपरोक्त समस्त दस्तावेज, आवेदक के पास आवेदन करने की अंतिम तिथि तक होना अनिवार्य है।
- आवेदन करने की अंतिम तिथि समाप्त होने के उपरान्त किसी भी दस्तावेज को स्वीकार्य नहीं किया जावेगा।

नोट:- आवेदक आवेदन/वॉछित अपलोड करते समये आवेदन पत्र में कॉलमवार वॉछित दस्तावेज अपलोड करते समय आवेदन पत्र में कॉलमवार वॉछित समस्त जानकारीयों का स्वंग परीक्षण करने एवं संतुष्ट होने के उपरान्त ही फार्म को अपलोड करें, जिससे कि त्रुटि की संभावना नगण्य रहे।

2.2 योग्यता की गणना के लिये संदर्भ तिथि 01/01/2025.

3 *आयु सीमा:- 21-40 वर्ष (*आयु गणना की संदर्भ तिथि 01/01/2025)

अधिकतम आयु सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन के परिपत्र क्रमांक सी 3-8/2016/1/3 दिनांक जुलाई 04 -2019 एवं समय -समय पर जारी संशोधन लागू

समझे जायेंगे। (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निशक्त:जन/ महिलाओं(अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिये अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट)

स्पष्टीकरण:- आयु की गणना के लिए 10 वीं उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र/मार्कशीट या सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य दस्तावेज जो आयु प्रमाण पत्र के लिए जारी किया गया हो, एक वैध /संदर्भ दस्तावेज होगा और उम्मीदवार की आयु की गणना के लिए अन्य दस्तावेजों पर विचार नहीं किया जाएगा।

आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जायेगी, उदाहरण के लिए अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति(एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), महिला और विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) और अधिकतम आयु सीमा ऐसे उम्मीदवारों के लिये ही होगी, यदि वे मध्यप्रदेश के निवासी हैं।

4. वेतन:-

4.1 चयन के वक्त, उम्मीदवार को **संविदा महिला पोषण प्रशिक्षक** के रूप में काम करने के लिए नियुक्त किया जाएगा और उन्हें **प्रतिमाह 22100/-** रुपये दिया जायेगा।

5. आरक्षण नियम:-

5.1 मध्यप्रदेश राज्य आरक्षण नीति चयन और आयु छूट में लागू की जाएगी। इसलिए, अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति(एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), महिला और विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) और आयु में छूट केवल मध्यप्रदेश के उम्मीदवारों के अधिवास पर लागू होगी।

5.2 केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी ही आवेदन के लिये पात्र होंगे।

6. आवेदन प्रक्रिया:-

6.1 उम्मीदवारों को ----- तक या उससे पहले एम.पी. ऑनलाईन के वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाईन आवेदन पत्र (ओएएफ) को भरना और जमा करना होगा। किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत किये गये आवेदन को वैध नहीं माना जाएगा।

6.2 उम्मीदवारों को आवेदन पत्र जमा करने से पहले निर्देशों और दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जाती है।

6.3 आवेदकों को आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य जानकारी [* (आस्ट्रिक) से चिह्नित] प्रदान करना आवश्यक है।

6.4 आवेदन में अपूर्ण विवरण या हस्ताक्षर या सहायक दस्तावेजों के साथ तस्वीर के बिना प्रस्तुत आवेदन खारिज कर दिया जाएगा।

6.5 आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी विवरण सही तरीके से भरे गये हैं और समापन तिथि से पहले ऑनलाईन सफलतापूर्वक जमा किए गये हैं। आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि आवेदन पत्र पर आवेदक का स्टेट्स "सफलतापूर्वक सबमिट किया गया है" आधे भरे हुये आवेदनों को अपूर्ण माना जाएगा और उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा।

6.6 एक बार ऑनलाईन फार्म जमा हो जाने के बाद किसी भी जानकारी में बदलाव या सुधार के लिए अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि, जॉच परिणाम के प्रकाशन के बाद, यदि जॉच परिणाम और उनकी स्थिति के बारे में कोई प्रश्न होगा तो उम्मीदवारों को उनके प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए 10 दिन (एनएचएम की मंजूरी के आधार पर) दिये जायेंगे। जॉच समिति उसी के लिए बनाए गए ऑनलाईन मॉड्यूल पर प्रश्न की प्राप्ति के चार कार्यकारी दिवसों के भीतर उम्मीदवारों के प्रश्न का जवाब देगी। जॉच समिति के निष्कर्ष के आधार पर, उम्मीदवार की जॉच टिप्पणी बदल सकती है।

6.7 सुधार/अवलोकन अवधि के बाद, जन्मतिथि, श्रेणी (जैसे एस.सी.,एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी) आदि में सुधार के लिये अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा। इसके संबंध में कोई भी संचार मान्य नहीं होगा।

- 6.8 विकलांग व्यक्ति(पीडब्ल्यूडी) के मामले में, आवेदकों को निम्नलिखित श्रेणियों में पंजीकरण करना होगा:—
- (क) बहरे कम सुनने वाले।
 - (ख) लोकोमीटरडिसेबिलिटी सम्मिलित है जैसे सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीडित मस्क्युलर डिस्ट्राफी।
 - (ग) ऑटिज्म बौद्धिक दिव्यंगता स्पेसफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविलांगता।
- (6.9) विकलांग (दिव्यांग) हेतु आरक्षित पद के लिए जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता (दिव्यांग) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. **चयन प्रक्रिया:—**
- 7.1 **संविदा महिला पोषण प्रशिक्षक** के चयन के लिए एम.पी. ऑनलाईन लिमिटेड द्वारा एमसीक्यू (MCQs) आधारित ऑनलाईन लिखित परीक्षा(ओडब्ल्यूटी) का आयोजन किया जाएगा।
- 7.2 विभाग द्वारा अंतिम रूप प्रदान किये गए पाठ्यक्रम के आधार पर एम.पी. ऑनलाईन लिमिटेड के माध्यम से सीबीटी आधारित ऑनलाईन परीक्षा आयोजित की जायेगी।
- 7.3 परीक्षा केन्द्र / शहरी भोपाल, इन्दौर, जबलपुर एवं ग्वालियर में उम्मीदवारों की वास्तविकता संख्या के आधार पर परीक्षा केन्द्रों/शहरों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।
- 7.4 उम्मीदवार ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के दौरान परीक्षा के लिये केन्द्र की पसंद प्रदान कर सकते हैं। केन्द्र का आवंटन निम्नलिखित पर आधारित होगा:—
- (क) केन्द्र की कुल संख्या की उपलब्धता और उम्मीदवारों द्वारा प्रदान की गई केन्द्र प्राथमिकताएँ।
 - (ख) प्राथमिकताएँ और उपलब्धता समाप्त हो जाने के बाद, एमपी ऑनलाइन द्वारा केंद्र की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा।
- 7.5 ई-एडमिट कार्ड को एम.पी. ऑनलाईन एवं एनएचएम म.प्र. की आधिकारिक वेबसाइट, एम.पी. ऑनलाईन लिमिटेड [http:// www.mponline.gov.in](http://www.mponline.gov.in) <http://iforms.mponline.gov.in> पर परीक्षा तिथि के सात (7) दिन पहले डाउनलोड किया जा सकता है। परीक्षा तिथि की घोषणा एम.पी.ऑनलाईन एवं एन.एच.एम. की आधिकारिक वेबसाइट पर होगी।
- 7.6 परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र में चार उत्तरों के विकल्पों के साथ 100 एमसीक्यू (MCQ) प्रश्न शामिल होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। कोई नेगेटिव अंक नहीं होगा। चयन के लिए, ऑनलाईन लिखित परीक्षा में प्राप्त उम्मीदवार के अंको को मेरिट रैंक उत्पन्न करने पर विचार किया जाएगा, जिसके आधार पर उम्मीदवार का चयन किया जाएगा।
- 7.7 ऑनलाईन लिखित टेस्ट परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक इस प्रकार होंगे **40% For UR, 36% For EWS, 35% For OBC, and 30% For SC and ST** मेरिट रैंक का परिणाम और उम्मीदवार का चयन इस पर और राज्य आरक्षण नीति के आधार पर होगा।
- 7.8 उपरोक्त मापदण्डों के अनुसार यदि उम्मीदवारों की आवश्यक संख्या कुल पदों की संख्या से कम हो जाती है, तो इस स्थिति में **मिशन संचालक, एनएचएम म.प्र.** आवश्यक रूप में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक को कम करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे। दो उम्मीदवारों के बीच बराबरी की स्थिति में, अवरोही क्रम में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार वरियता दी जायेगी:—
- (i) आयु में बड़े उम्मीदवार को वरियता दी जाएगी।
 - (ii) एक ही जन्मतिथि/उम्र के अभ्यर्थी होने पर, **संविदा महिला पोषण प्रशिक्षक** के पद हेतु जो शैक्षणिक अर्हता रखी गई है उसमें शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों के प्रतिशत में अधिक अंक लाने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता।

- 7.9 परीक्षा और चयन प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाएगी। किसी व्यक्ति द्वारा प्रक्रिया को अधिप्रभावी करके कोई भी लाभ देने की कोई संभावना नहीं है। यदि कोई व्यक्ति कोई भी लाभ प्राप्त करने के बारे में दावा करता है, तो यह व्यवहारिक नहीं है, और उम्मीदवारों को ऐसे झूठे दावों से सावधान रहना चाहिये।
- 7.10 उम्मीदवार को नियमों और चयन मापदण्डों का अवलोकन करना चाहिये और पद के लिये आवेदन करने से पहले पात्रता सुनिश्चित करनी चाहिए। यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा के चरणों के दौरान और/या परिणाम की घोषणा के बाद अयोग्य पाया जाता है और उम्मीदवार द्वारा प्रदान किया गया विवरण गलत पाया जाता है तो, इस स्थिति में उम्मीदवार की उम्मीदवारी प्रक्रिया में किसी भी बिन्दु पर अयोग्य घोषित की जाएगी।
- 7.11 **निर्हता/अभ्यर्थता रद्द करने का अधिकार:-**
1. लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में किसी का सहयोग प्राप्त किया जाना।
 2. प्रतिरूपण किया जाना।
 3. किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण का कार्य करवाया जाना।
 4. कूटरचित्त अभिलेख प्रस्तुत किया जाना।
 5. रूपान्तरित अभिलेख प्रस्तुत किया जाना।
 6. किसी आवश्यक जानकारी का छिपाया जाना।
 7. अनुचित साधन का उपयोग किया जाना। (प्रयास किया जाना)
 8. परीक्षा कक्ष में ड्यूटीरत स्टॉफ को कोई धमकी दी जाना।
 9. परीक्षा कक्ष में ड्यूटीरत स्टॉफ द्वारा दिये गये निर्देशों का उल्लंघन किया जाना।
 10. पुरुष अभ्यर्थी / महिला अभ्यर्थी जिसका एक से अधिक जीवित पत्नी/पति हो।
 11. कोई अभ्यर्थी जिसे 26 जनवरी 2001 के पश्चात् तीसरी जीवित संतान हुई हो।
 12. अभ्यर्थी जिस पर अपराधिक मामला लम्बित है या दण्डित किया गया हो।
8. **स्थान आवंटन:-**
- 8.1 मेरिट रैंक और उम्मीदवारों की वरीयताओं के आधार पर आवंटित किया जाएगा।
- 8.2 उम्मीदवार के उत्तीर्ण होने के उपरान्त **पदों की पूर्ति हेतु च्वाइस फिलिंग की कार्यवाही पृथक से की जावेगी**, पद के लिए उम्मीदवार एक से अधिक आवेदन फार्म जमा नहीं कर सकता है। यदि उसकी उम्मीदवारी का पता नहीं लगाया है तो उसकी उम्मीदवारी को बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द कर दिया जा सकता है।
- 8.3 ऑनलाईन फॉर्म भरते समय एक घोषणा के लिए उम्मीदवारों को सहमत होना होगा कि "मैं पूरी तरह से समझता/समझती हूँ कि उपरोक्त स्थान वरीयता का विवरण, केवल सूचना के उद्देश्य से मांगे जा रहे हैं। उम्मीदवार की मेरिट सूची रैंक के आधार पर एनएचएम म.प्र. के द्वारा नौकरी की पोस्टिंग का निर्णय लिया जाएगा। मैं उपरोक्त प्रक्रिया के माध्यम से या स्थानों के अपने विवेक और उपलब्धता के अनुसार **एनएचएम म.प्र.** द्वारा निर्धारित पोस्टिंग के स्थान का पालन करने के लिए पूरी तरह सहमत हूँ।
9. **दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया:-**
- (क) शार्टलिस्ट किये गये उम्मीदवारों का दस्तावेज सत्यापन आवंटित जिलों से संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएमएचओ) द्वारा किया जायेगा।
 - (ख) शार्टलिस्ट किये गये उम्मीदवारों को आवश्यक विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है, जो दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के लिए आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र (व्यक्तिगत, शिक्षा, पंजीकरण आदि) भरते समय पूछे गये थे।
 - (ग) शार्टलिस्ट किये गये उम्मीदवारों की उम्मीदवारी जिसके पास विज्ञापन में अपेक्षित ToR के अनुसार आवश्यक क्रेडेंशियल/दस्तावेज/पंजीकरण नहीं है, उन्हें चयन के लिए रद्द माना जाएगा।
 - (घ) ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने के समय दी गई घोषणा के अनुसार तथ्यों की गलत व्याख्या के लिए भी उम्मीदवारों को अयोग्य माना जाएगा।

- (ड) जो उम्मीदवार निर्धारित समय अवधि के भीतर आवंटित स्थान पर रिपोर्ट नहीं करेंगे, उन्हें पद कार्यग्रहण करने के लिए अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा, और पद मेरिट सूची में अगले उम्मीदवार को प्रदान किया जाएगा।
10. **अन्य निर्देश और दिशा निर्देश:-**
- 10.1 **चयनित उम्मीदवारों को निम्नलिखित मूल दस्तावेजों/परिचय पत्र, प्रस्ताव पत्र, मूल और जेरोक्त कॉपी को निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत करने की आवश्यकता है:-**
- (क) 10वीं या माध्यमिक/उच्च माध्यमिक और उम्मीदवारों के सभी उत्तीर्ण किये हुये पाठ्यक्रम की वार्षिक/सेमेस्टर वार मार्कशीट।
 - (ख) नवीनतम पासपोर्ट साईज की दो तस्वीरें।
 - (ग) मध्यप्रदेश के उपमंडल अधिकारी(राजस्व) द्वारा जारी जाति का प्रमाण पत्र।
 - (घ) स्थानीय आवासीय प्रमाण पत्र/अधिवास प्रमाण पत्र।
 - (ङ) नवीनतम चिकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र(जिला बोर्ड से) प्रस्ताव पत्र जारी करने की तारीख से 15 दिन से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
 - (च) **संविदा महिला पोषण प्रशिक्षक** के चयन के लिए, ऑनलाईन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिलिपि, एडमिट कार्ड की मूल और स्व-सत्यापित प्रतिलिपि
 - (छ) उपरोक्त प्रमाण पत्र/दस्तावेजों में से किसी के अभाव में उम्मीदवारों को पद के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा और इसके लिए किसी भी प्रतिनिधित्व को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
 - (ज) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निर्धारित छुट्टी के नियम अपरेंटिस/आंतरिक **संविदा महिला पोषण प्रशिक्षक** के लिये लागू होंगे।
 - (झ) गर्भवती उम्मीदवार के लिए, जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र कार्यग्रहण के समय लागू होगा, और उपरोक्त प्रमाण पत्र जमा करने पर ही कार्यग्रहण सुनिश्चित किया जायेगा।
 - (अ:) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 2 जुलाई 2019 के अनुसार लोक सेवा केन्द्र से जारी आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
 - (ट) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 07-11/2019/आप्र/ 1, दिनांक 29 जून 2021 जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के प्रमाण की संदर्भ में परिपत्र की कंडिका 8.6 का पालन सुनिश्चित किया जाना है।
11. चयन प्रक्रिया के सफल समापन के बाद और **संविदा महिला पोषण प्रशिक्षक** के रूप में नियुक्ति के बाद, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नियमों का निर्धारण और व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकारी होगा।
- 11.1 संविदा सेवा की शर्तें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश के नवीनतम मानव संसाधन मैनुअल-2025 के अनुरूप होंगी।
- 12 **चयन प्रक्रिया में संशोधन का अधिकार:-**
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चयन के किसी भी नियमों और प्रक्रिया में संशोधन करने का अधिकार आरक्षित रखता है। ऐसा कोई भी संशोधन मान्य और बाध्यकारी होगा मिशन आवश्यकतानुसार पदों की संख्या में परिवर्तन कर सकता है। मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश को बिना कारण बताये सम्पूर्ण प्रक्रिया निरस्त करने का अधिकार होगा।
13. परिभाषाएँ:-
- 13.1 "चयन परीक्षा" का अर्थ **संविदा महिला पोषण प्रशिक्षक** के लिए चयन प्रक्रिया का संदर्भ है

परिशिष्ट-1

पोषण प्रशिक्षक के कार्यदायित्व

1. पोषण प्रशिक्षक – दैनिक कार्यावधि प्रातः 9.00 से सायं 5.00

- पोषण पुनर्वास केन्द्र में निर्धारित मापदण्ड अनुसार ही बच्चों की भर्ती सुनिश्चित करना।
- भर्ती पूर्व चिकित्सक द्वारा निर्देशानुसार समस्त जाँचे संस्था में लेबॉरेटरी के माध्यम से करवाया जाना तथा रिपोर्ट प्राप्त कर चिकित्सकीय परामर्श लेना।
- बाह्य रोगी (OPD) एवं अंतःरोगी (IPD) विभाग यथा पीडियाट्रिक वार्ड/पी.आई.सी.यू. से समन्वय स्थापित कर, एन.आर.सी. में बीमार गंभीर कुपोषित बच्चों की भर्ती सुनिश्चित करना।
- अंतःरोगी विभाग में भर्ती गंभीर कुपोषित बच्चों का दैनिक Anthropometry मापन एवं थैराप्यूटिक आहार सुनिश्चित करना।
- पोषण पुनर्वास केन्द्र में भर्ती बच्चों की प्रतिदिन नियत समय पर वजन एवं ऊँचाई/लंबाई मापन करना तथा बच्चे की अद्यतन स्थिति से माता/देखभालकर्ता को अवगत कराना।
- राज्य से जारी दिशा-निर्देशानुसार प्रभारी चिकित्सा अधिकारी व विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी के सहयोग से आशा कार्यकर्ता अन्य चिकित्सक व महिला बाल विकास विभाग से समन्वय स्थापित करते हुये पोषण पुनर्वास केन्द्र की उपयोगिता बढ़ाया जाना।
- पोषण प्रशिक्षक द्वारा NRC से छुट्टी किये जाने वाले बच्चों की सूचना संबंधित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को अनिवार्य रूप से देना ताकि इनका C-SAM कार्यक्रम अन्तर्गत साप्ताहिक फॉलोअप सुनिश्चित किया जा सके।
- भर्ती बच्चों की माताओं को मापदण्ड अनुरूप क्षतिपूर्ति राशि हेतु पंजीयन करवाना तथा समय-सीमा क्षतिपूर्ति राशि उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
- NRC मापदण्ड अनुरूप अपात्र बच्चों को C-SAM कार्यक्रम अंतर्गत पंजीयन करने हेतु आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से समन्वय स्थापित करना, ऐसे बच्चे के भर्ती न किए जाने के कारणों के संबंध में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/आशा एवं बच्चे के माता-पिता/देखभालकर्ता को समझाईश देना तथा उन्हें प्रदायित Rejection Slip की प्रति NRC में संधारित करना।
- वार्ड में भर्ती बच्चों को नियमित प्ले थैरेपी करवाना तथा भर्ती बच्चों की उम्र अनुसार टीकाकरण करवाया जाना।
- **पोषण परामर्श संबंधी कार्यदायित्व :**
 - ✓ NRC Case Record पृष्ठ क्र. 10-11 में दर्ज व्यक्तिगत परामर्श टूल में माता/देखभालकर्ता जानकारी पूछ कर इंद्राज करना, तदनुसार उनका व्यक्तिगत परामर्श करना।
 - ✓ माताओं/देखभालकर्ताओं को उनके घर पर उपलब्ध भोज्य पदार्थों द्वारा पोषण आहार का निर्माण, बच्चे की देखभाल, स्वास्थ्य एवं साफ-सफाई आदि विषयों पर प्रतिदिन परामर्श सत्र आयोजित कर सलाह देना।
 - ✓ स्वास्थ्य संस्था में भर्ती समस्त नवजात शिशु व प्रमुखतः वह नवजात जिनका वजन 2.5 कि.ग्रा. से कम है अथवा समयपूर्व जन्में बच्चों व उनकी माताओं को शिशु एवं बाल आहारपूर्ति व्यवहारों पर सहयोग प्रदान पोषण उपलब्ध कराना तथा पोषण उपलब्ध कराना। यदि संभव हो तो Supplementary Suckling Technique (SST) द्वारा माताओं में स्तनपान संबंधी समस्याओं का निदान सुनिश्चित करना। इस हेतु SNCU/NBSU/PICU/PNC वार्ड स्टॉफ में भर्ती बच्चों की माताओं/देखभालकर्ताओं को शिशु एवं बाल आहारपूर्ति व्यवहारों पर परामर्श देना।
 - ✓ पी.एन.सी.वार्ड में भर्ती प्रसूताओं को आवश्यकतानुसार Maternal Nutrition, Optimal Breastfeeding and infant feeding practices, dealing with breastfeeding problems आदि विषयों पर सामूहिक एवं व्यक्तिगत परामर्श प्रदाय करना।
- **रिकॉर्ड संधारण संबंधित कार्यदायित्व**
 - ✓ एन.आर.सी में भर्ती प्रत्येक बच्चे के वजन और स्थिति के अनुसार प्रतिदिन आहार तय करना तथा 24 घंटे के फूड इन्टेक चार्ट की समीक्षा कर अगले दिन के आहार की योजना बनाना।
 - ✓ सुनिश्चित करें कि हर माँ अपने बच्चे को निर्धारित सभी फीड देते समय सक्रिय फीडिंग का अभ्यास करती है।
 - ✓ एन.आर.सी. संबंधित समस्त अभिलेख यथा NRC Case Record एवं एन.आर.सी. रजिस्टर को नियमित अद्यतन करना। एन.आर.सी. केस रिकॉर्ड में, गुलाबी रंग से चिह्नित क्षेत्रों को फीडिंग डेमोंस्ट्रेटर द्वारा भरा जाना है, जबकि नीले रंग से चिह्नित क्षेत्रों को स्टाफ नर्स या ए.एन.एम द्वारा पूरा किया जाना आवश्यक है। पीले रंग से हाइलाइट किए गए क्षेत्र अनिवार्य हैं और इन्हें प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिदिन भरा जाना चाहिए, ताकि बच्चे की प्रगति और देखभाल का सटीक एवं समय पर दस्तावेजीकरण सुनिश्चित किया जा सके।
 - ✓ नियमित रूप से NRCMIS सॉफ्टवेयर में भर्ती बच्चों की जानकारी प्रतिवेदित करना व सुधारात्मक कार्यवाही हेतु नियमित रूप से विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी व प्रभारी चिकित्सक को अवगत कराना।
 - ✓ NRCMIS में उपलब्ध टूल FD Letter to ICDS BPO द्वारा प्रत्येक माह की 25 तारीख को पत्र जनरेट कर महिला एवं बाल विकास विभाग को विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करना। पत्र प्रेषित करने के पूर्व पत्र के अन्त में अनिवार्यतः हस्तलिखित किया जाये “कृपया उपरोक्त बच्चों को सी-सैम कार्यक्रम में पंजीयन कराया जाना सुनिश्चित करें।
- **प्रबंधन कार्यदायित्व**

- ✓ पोषण प्रशिक्षक के कार्यदायित्वों में पोषण पुनर्वास केन्द्र का संपूर्ण प्रबंधन भी सम्मिलित है। इनके द्वारा एन.आर.सी. स्टाफ यथा ए.एन.एम./स्टाफ नर्स, सपोर्ट स्टाफ तथा सफाई कर्मी द्वारा संपादित दैनिक कार्यों का मूल्यांकन कर प्रभारी चिकित्सक को अद्यतन करना है।
 - ✓ इसी प्रकार प्रभारी चिकित्सक, अभिभावकों और उनके बच्चों के बीच कड़ी के रूप में काम करना।
 - ✓ प्रभारी चिकित्सक के एन.आर.सी. वार्ड के दौरे के दौरान प्रत्येक बच्चे की स्थिति (वज़न में सुधार, फीड लेने या अन्य कोई महत्वपूर्ण सूचना) के बारे में बताना।
 - ✓ एन.आर.सी. में रखे सभी सामग्री की सुरक्षा सुनिश्चित करना। **Essential Logistics, Consumables** का ससमय इंडेंट कर उपलब्धता एवं लेखा जोखा सुनिश्चित करना। विशेषतौर पर एन.आर.सी में आवश्यक दवाओं का संधारण सुनिश्चित करना।
- **अन्य कार्यदायित्व**
- ✓ केन्द्र में भर्ती बच्चों में से नॉन रिस्पान्डर बच्चों की सूची तैयार कर उनका फॉलोअप लेना तथा उनके माता-पिता से संपर्क कर उच्च स्तरीय एन.आर.सी./एस.एम.टी.यू. में रेफर करने हेतु प्रोत्साहित करना।
 - ✓ इसी प्रकार Referred NRC की Feeding Demonstrator / Clinical Nutritionist से समन्वय स्थापित कर, समस्त बच्चे जिन्हें Up-refer या down refer किया गया है, उनकी फॉलोअप जानकारी रखना।
 - ✓ FSAM कार्यक्रम अंतर्गत बच्चे की, NRC में भर्ती के दौरान या फॉलोअप के दौरान, मृत्यु की जानकारी मिलने पर जिला स्तरीय अधिकारियों (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/जिला टीकाकरण अधिकारी) से समन्वय कर Child Death Review (CDR) संपादित कराना।
 - ✓ एन.आर.सी. में पदस्थ ए.एन.एम, स्टाफ नर्स तथा सपोर्ट स्टाफ का सुपरविज़न कर सुनिश्चित करना कि भर्ती बच्चों को सभी आहार, सूक्ष्म पोषक तत्व, दवाईयां एवं टीकाकरण की सुविधा प्राप्त हो। साथ ही मानक प्ले थेरेपी की जाये।
 - ✓ सफाईकर्मी द्वारा रसोई घर, शौचालय/स्नान-घर, NRC वार्ड एवं कम्पाउन्ड की साफ-सफाई सुनिश्चित कराना।

परिशिष्ट-2

संविदा महिला पोषण प्रशिक्षक

रिक्त स्वास्थ्य संस्था

क्र.	जिले का नाम	विकासखण्ड	एन.आर.सी. का नाम	पोषण प्रशिक्षक के रिक्त पद
------	-------------	-----------	------------------	----------------------------

1	सीहोर	आष्टा	सी.एच. आष्टा	1
2	राजगढ़	राजगढ़	जिला चिकित्सालय	1
3	राजगढ़	जीरापुर	सी.एच. जीरापुर	1
4	हरदा	खिरकिया	सी.एच.सी खिरकिया	1
5	हरदा	टिमरनी	पी.एच.सी रेहटगांव	1
6	सिंगरौली	वैधन	जिला चिकित्सालय	1
7	सिंगरौली	चितरंगी	सी.एच.सी चितरंगी	1
8	सिंगरौली	वैधन	सी.एच.सी सरई	1
9	टीकमगढ़	जतारा	सी.एच.सी जतारा	1
10	टीकमगढ़	पृथ्वीपुर	सी.एच.सी पृथ्वीपुर	1
11	पन्ना	पन्ना	सी.एच.सी अमानगंज	1
12	भिण्ड	अटेर	सी.एच.सी अटेर	1
13	श्यापुर	विजयपुर	सी.एच.सी विजयपुर	1
14	अशोकनगर	ईशागढ़	सी.एच.सी ईशागढ़	1
15	गुना	गुना	सी.एच.सी म्याना	1
कुल				15